

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर
आदेश

एकलपीठ सिविल विविध अपील नम्बर 4132/2012

30.07.2018

माननीय न्यायाधिपति बनवारी लाल शर्मा

श्री एम एम रंजन, वरिष्ठ अधिवक्ता मय

श्री दौलत शर्मा, अधिवक्ता अपीलार्थी

श्री आर के माथुर, वरिष्ठ अधिवक्ता मय

श्री आदित्य माथुर, अधिवक्ता प्रत्यर्थी

प्रत्यर्थी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आर के माथुर का कथन है कि वे आज ही कोई दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत कर रहे हैं, अतः अवसर दिया जावे।

प्रार्थनानुसार अवसर दिया जाता है।

प्रकरण सुनवाई हेतु दिनांक 30.08.2018 को न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध किया जावे।

(बनवारी लाल शर्मा)
न्यायाधिपति